राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2029/2024

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद बुगालिया **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप 1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.06.2024
आदेश की दिनांक : 19.06.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता

आदेश

मामले की आवश्यकता प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से मेडिकल कॉलेज, उदयपुर कर दिया गया तथा उक्त आदेश के अनुसरण में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 08.06.2024 (अनुलग्नक–1/ए) द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग ने आलौच्य आदेश पारित करने समय टीए/डीए नियमों के प्रावधानों की अनुपालना नहीं की है और अपीलार्थी को कोई टीए/डीए नहीं दिया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में स्थानान्तरित कर दिया, लेकिन 4 महीने बीतने के बाद दिनांक 08.06.2024 को पदमुक्त करने का आदेश पारित किया है। कई अभ्यर्थी एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में अपीलार्थी के अधीन पीजी पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर रहे हैं और यदि आदेश लागू किया जाता है तो उपरोक्त अभ्यर्थियों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष ने संकायों की कमी से जूझ रहे एसोसिएट प्रोफेसरों के स्थानांतरण को रद्द करने के लिए प्रिंसिपल एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर को पत्र लिखा (अनुलग्नक–2)। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन के माध्यम से दिनांक 22.02.2024 के

स्थानांतरण आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में फैकल्टी की कमी के संबंध में समाचार पत्रों में खबर भी प्रकाशित हुई है (अनुलग्नक–3)। अपीलार्थी की मां कैंसर से पीड़ित हैं और उनका जयपुर और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, मुंबई में इलाज चल रहा है (अनुलग्नक–4)। माननीय अधिकरण ने इसी तरह के एक मामले में कर्मचारी के परिवार के एक सदस्य को कैंसर रोग होने के कारण स्थानांतरण आदेश के संचालन पर रोक लगा दी है (अनुलग्नक–5)। अपीलार्थी की पत्नी भी राजकीय महिला चिकित्सालय, सागानेरी गेट, जयपुर में पदस्थापित है (अनुलग्नक–6)। राज्य सरकार के जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार पति–पत्नी दोनों राजकीय सेवा में होने पर यथासंभव एक ही स्थान पर पदस्थापित करने एवं आस–पास पदस्थापित रखे जाने का प्रावधान है। अपीलार्थी के बच्चे जयपुर में एमजीडी स्कूल/एमपीएस इंटरनेशनल में कक्षा IV और II में पढ़ रहे हैं (अनुलग्नक–7)।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 08.06.2024 (अनुलग्नक–2) को अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को निरन्तर सहायक प्रोफेसर के पद पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में कार्य करने दिया जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने

के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)